1 C

परिपत्र संख्या - वि0अनु0शा0/ 2022-23/ 189 / कम्प्युटर परि0सं0/ 2223008 /राज्य कर

कार्यालय, आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ
दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड - 1,
अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0),
संयुक्त आयुक्त (कार्य0 / वि0अनु0शा0),
उपायुक्त / सहायक आयुक्त,
राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: जांच में पायी गयी अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा बोगस आई0टी0सी0 के मामलों की सूचना का आदान-प्रदान एवं अनुवर्ती कार्यवाही की मोनिटरिंग के संबंध में।

अस्तित्वहीन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा माल अथवा सेवा अथवा दोनों की वास्तविक आपूर्ति के बिना जारी टैक्स इनवायसेज के आधार पर आपूर्ति प्राप्तकर्ताओं के विरूद्ध उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही हेतु सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान एवं प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की मॉनिटरिंग हेतु Enforcement Alert System Module विकसित किया गया था एवं इस मॉड्यूल से कार्यवाही के संबंध में कम्प्यूटर परिपत्र संख्या - 2021018 दिनांक: 22-09-2020 से निर्देश प्रसारित किए गए थे।

2. विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध GST MIS के SIB मॉड्यूल से दिनांक: 01-07-2017 से दिनांक 31-03-2022 तक की अवधि में वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा जाँच के दौरान अस्तित्वहीन पायी गयी फर्मों एवं उनमें निहित अपवंचित कर के विश्लेषण पर वस्तुस्थिति निम्नवत परिलक्षित होती है -

वित्तीय वर्ष	जांच पर अस्तित्वहीन पायी गयी फर्मों की संख्या	निहित अपवंचित कर की धनराशि *(रु0 करोड़ में)*
2017-18	67	65.74
2018-19	418	559.81
2019-20	268	851.07
2020-21	327	487.61
2021-22	459	469.04
योग	**1539**	**2433.27**

3. अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा वास्तविक आपूर्ति के बिना जारी की गयी इनवायसेज पर प्रान्त के अंदर पंजीकृत व्यक्तियों अथवा प्रान्त के बाहर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आई0टी0सी0 का दावा किया जाता है जो विधिक रूप से अनुमन्य नहीं है। जिन प्रान्तीय पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल अथवा सेवा अथवा दोनों

की वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किए बिना आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया है उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही के प्रभावी अनुश्रवण हेतु यह आवश्यक है कि दिनांक: 01-07-2017 के पश्चात जाँच के दौरान पायी गयी अस्तित्वहीन फर्मों एवं उनके द्वारा जारी इनवायसेज के आधार पर बोगस आई0टी0सी0 का दावा करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों का विवरण एवं डाटा परिपत्र दिनांक: 22-09-2020 के अनुसार Enforcement Alert System Module में त्रुटिहीन ढंग से पूर्ण किया गया हो। SIB मॉड्यूल पर उपलब्ध MIS के विश्लेषण से यह परिलक्षित हो रहा है कि जी0एस0टी0 अवधि के प्रारम्भ से जाँच के दौरान पायी गयी अस्तित्वहीन फर्मों एवं उनके द्वारा फर्जी ढंग से पास-ऑन की गयी आई0टी0सी0 की सूचना Enforcement Alert System Module में पूर्ण नहीं की गयी है।

4. उक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक: 01-07-2017 के पश्चात प्रत्येक वि0अनु0शा0 इकाई अथवा खण्ड कार्यालय द्वारा जाँच के दौरान पायी गयी प्रत्येक अस्तित्वहीन फर्म एवं उसकी अनुवर्ती फर्म से संबंधित सूचना का विवरण Enforcement Alert System Module में दिनांक: 15-05-2022 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाए। बोगस आई0टी0सी0 का दावा करने वाली अनुवर्ती फर्मों के विरूद्ध नियम - 86(A) के अंतर्गत आई0टी0सी0 ब्लाकिंग एवं सुसंगत धारा में समयान्तर्गत न्याय निर्णयन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए वांछित विवरण की प्रविष्टि उक्त संदर्भित मॉड्यूल में नियमित रूप से अद्यतन की जाती रहेगी जिससे राजस्व वसूली का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

28/4/2022

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।

<u>पत्र, पृष्ठ संख्या व दिनांक उक्त</u>

प्रतिलिपि 1: उपायुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर सुसंगत मेन्यू में अपलोड कराने हेतु।

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।